CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES:

ACT. XXI OF 1860

No. S/ 10081 of 1979

I hereby certify that "श्री मुख्त्यार सिंह स्मृति शिक्षा समिति"

has this day been registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

REGISTRAR OF SOCIETY DELHI

Given under my hand at Delhi this 5 day of मार्च one thousand nine hundred and इक्यासी.

REGISTRATION FEE OF RS.50/- PAID.

REGISTRAR OF SOCIETIES:
DELHI ADMINISTRATION
DELHI.

Certified to be true Copy
8.8.95
Registrar of Society Delhi

Office of the Registrar of Society

C.P.O. Building Kashmere Gate,
DELHI

2/3/79

श्री मुख्तयार सिंह स्मृति शिक्षा समिति

का

ज्ञापन - पत्र

1- समिति का नाम : श्री-मुख्तयार सिहँ स्मृति शिक्षा समिति, होगा ।

2- समिति का कार्यालय : समिति का पंजीकृत कार्यालय ग्राम व डा० पूँठ कला, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा ।

3- उद्देश्य :-

1) बाल विद्या मन्दिर पूठ कलाँ, दिल्ली-41 को सुचारु रूप से संचालन करना तथा उसका प्रबन्ध करना ।

2) नर्सरी से प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के लिये स्कूल, गुरुकुल एवं कालेज आदि खोलना ।

3) संस्कृत, प्राकृत एवं पाली आदि भाषाओं एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार - प्रसार के लिये विद्यालय, महाविद्यालय एवं अनुसंधान विभाग की स्थापना करना ।

4) चरित्र निर्माण की शिक्षा देना एवं छात्रों में समाज, राष्ट्र एवं विश्व की सेवा भावना को जागृत करना ।

5) बालोपयोगी एवं समाज उपयोगी पत्रिका एवं ग्रन्थों का प्रकाशन करना ।

6) महिलाओं के लिये सिलाई केन्द्रों की स्थापना करना ।

7) पिछड़े वर्ग एवं देहात के क्षेत्रों में निःशुल्क औषधालयों की स्थापना करना ।

8) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध करना ।

9) योगाभ्यास के लिए योग आश्रमों की स्थापना करना तथा लोगों को योग अभ्यास हेतु पूरी जानकारी देना ।

२) यदि कोई सदस्य समिति के नियम व उप-नियमों को नहीं मानता है तो उसे सदस्यता से निकालने का कार्यकारिणी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

३) मृत्यु होने पर, पागलपन होने पर व त्याग-पत्र देने पर उसकी सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

४) निर्धारित शुल्क न देने पर, उसकी सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

१३) <u>न्यायालय:-</u>

न्यायालय में कोई भी केस आदि फाइल करना हो तो वह समिति के नाम से ही होगा और समिति के नाम से केस फाइल करने का केवल महासचिव को ही पूर्ण अधिकार होगा। जो कि एक्ट १८६० की धारा ६ के अनुसार होगा।

१४) <u>संशोधन :-</u>

समिति के ज्ञापन-पत्र में संशोधन करना हो तो वह संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० की धारा १२ व १२-ए के अनुसार होगा।

१५) <u>विघटन:-</u>

समिति को यदि विघटन करना आवश्यक समझा जाये तो वह संस्था पंजीकरण अधिनियम १८६० की धारा १३ व १४ के अनुसार होगा।

१६) सभी राज्य क्षेत्र, दिल्ली, में यथा प्रचलित समिति पंजीकरण अधिनियम १८६० का २१ (पंजाब संशोधित अधिनियम १९५७) के सकल उपबन्ध इस समिति पर लागू होंगे।

REGISTRAR OF SOCIETY DELHI

६) बैठक (१) कार्यकारिणी समिति की बैठक महिने में एक बार होनी अनिवार्य होगी ।

(२) साधारण समिति की बैठक में वर्ष में एक बार होनी अनिवार्य होगी ।

७) कोरम :- कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति की बैठकों में १।२ सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है । इससे कम उपस्थिति में बैठक स्थगित कर दी जायेगी

८) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल ५ वर्ष होगा ।

९) समिति का वित्त वर्ष १ अप्रैल, से ३१ मार्च तक होगा ।

१०) चुनाव प्रणाली :- कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव साधारण समिति के सदस्यों द्वारा होगा और कार्य-कारिणी समिति के चुने हुए सदस्य ही पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे । चुनाव हाथ उठा कर ही होगा ।

११) चुनाव सूची भेजना :- कार्यकारिणी समिति के चुने हुये सदस्यों के नाम, घर का पता, व्यवसाय, तथा समिति में पद की एक सूची हर वर्ष संस्था पंजीयक कार्यालय को भेज दी जायेगी जो कि एक्ट १८६० की धारा ४ के अनुसार होगी ।

१२) सदस्यता से वंचित करना :-

(१) यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के उपस्थित नहीं होता है तो उसे सदस्यता से निकालने का कार्यकारिणी समिति को पूर्ण अधिकार होगा ।

दोनों उप-प्रधान, प्रधान की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल करेंगे तथा उन कार्यों में उनको सहयोग देंगे।

(२) **महामन्त्री :-**

यह समिति की ओर से हर प्रकार का पत्र-व्यवहार करेगा और कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति की बैठक आदि बुलाने का इन्हें पूर्ण अधिकार होगा। समिति का समस्त आय व व्यय का ब्यौरा समिति का तैयार करके कार्यकारिणी समिति व साधारण समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगा। समिति के समस्त कार्यों की देखभाल करेगा। श्री रमेश सिंह सोलंकी जी इस समिति के आजीवन महामंत्री होंगे। परन्तु इनके त्याग-पत्र देने पर, या इनकी मृत्यु के पश्चात् इस पद का चुनाव साधारण समिति द्वारा होगा। समिति के कार्यों के लिये [illegible] रुपया तक व्यय करने का इन्हें पूर्ण अधिकार होगा। [illegible] इससे अधिक के खर्च के लिये कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। यदि जनरल बॉडी चाहती है तो महामन्त्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास किया गया हो कार्यकारिणी से निष्कासित कर सकती है

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

(३) **मंत्री:-**

यह महामंत्री की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों की देखभाल करेंगे।

(४) **कोषाध्यक्ष :-**

यह समिति के सदस्यों से चन्दा इकट्ठा करेगा तथा समिति के समस्त आय-व्यय का पूर्ण ब्यौरा रखेगा। २००)-- रुपया तक की राशि को अपने पास रखने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे अधिक राशि को बैंक आदि में जमा करना होगा। बैंक से रुपया निकालने के लिये निम्नलिखित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं :-

(१) महामन्त्री (२) कोषाध्यक्ष

४) **कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-**

(१)	प्रधान	१
(२)	उप-प्रधान	१
(३)	महामंत्री	१
(४)	उप-मंत्री	१
(५)	कोषाध्यक्ष	१
(६)	सदस्यगण	सात

५) **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य :-**

(१) समिति के समस्त कार्यों की देखभाल करना ।
(२) समिति का बजट तैयार करना ।
(३) समिति के कार्यों के लिये कर्मचारी नियुक्त करना तथा उनका वेतन घटाना।बढाना तथा नौकरी से निकालना ।
(४) रिक्त स्थानों की पूर्ति करना ।
(५) भिन्न-भिन्न जगह एवं ग्रामों में शाखायें खोलना ।
(६) समिति के कार्यों की योजना तैयार करना ।

६) **साधारण समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य :-**

(१) समिति के समस्त आय-व्यय को पास करना ।
(२) समिति के नियम एवं उप-नियमों में संशोधन करना ।
(३) कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना ।

७) **कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवम् कर्तव्य :-**

(१) प्रधान :- कार्यकारिणी समिति और साधारण समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । बराबर मत आने पर एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । समिति के कार्यों के लिये ५०)-रुपया तक व्यय करने का अधिकार होगा तथा इससे अधिक की राशि के लिये कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी ।

श्री मुख्त्यार सिंह स्मृति शिक्षा समिति

के

नियम व उप-नियम

१) समिति का नाम — श्री मुख्त्यार सिंह स्मृति शिक्षा समिति, डाँगा।

२) समिति का कार्यालय — मकान। ग्राम व डाकखाना- पूठ कलाँ, दिल्ली-११००४१, संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, में ही रहेगा।

३) सदस्यता — कोई भी स्त्री या पुरुष जिसकी आयु १८ वर्ष की हो तथा समिति के नियम व उप-नियमों को तन, मन, धन एवम् पूर्ण निष्ठा के साथ मानता हो वह व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है। सदस्यता तीन प्रकार की होगी :--

(१) आजीवन सदस्य

(२) प्रतिष्ठित सदस्य

(३) सामान्य सदस्य

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

(१) आजीवन सदस्य

आजीवन सदस्य वे सज्जन होंगे जो समिति को १०००)-रुपया नकद देंगे या इतनी ही राशि समिति के उपयोग के लिए कोई भी वस्तु प्रदान करेंगे। आजीवन सदस्यता हम दान, दाताओं की इच्छा पर निर्भर होगी। यदि वे आजीवन सदस्य बनना चाहें तो।

(२) प्रतिष्ठित सदस्य

केवल वही व्यक्ति हो सकेंगे जिनको कार्यकारिणी बहुमत से बनाना चाहे।

(३) साधारण सदस्य

शिक्षा प्रचार-प्रसार सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाला हर बालिग नागरिक समिति को २१)-रुपये शुल्क देकर नियमानुसार सदस्य बनने का अधिकारी है। जिसकी अवधि पांच वर्ष है।

3/C

मैं प्रमाणित करता हूं कि निम्नलिखित व्यक्तियों को मैं भली भांति जानता हू पूठकलां दिल्ली-4। मैं पाठशाला बाल विद्या मन्दिर का लम्बे अर्से से संचालन कर रहे हैं। उन्होंने इस विद्यालय को स्थाई रूप से चलाने हेतु एक संस्था श्री मुख्तयार सिंह समृति शिक्षा समिति का गठन किया है। मैं इसके पंजीकरण की सिफारिश करता हूं।

क्रमसंख्या	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री खेमचन्द	ग्राम पूठकलां, दिल्ली-4।	सेवामुक्त	प्रधान
2.	श्री रामसरूप	ग्राम बेगमपुर, दिल्ली-4।	नौकरी	उप-प्रधान
3.	श्री जयदेव	ग्राम रिठाला, दिल्ली-4।	अध्यापक	उप-प्रधान
4.	श्री रमेश सिंह सौलकी	ग्राम पूठकलां, दिल्ली-4।	समाजसेवक	महामंत्री
5.	श्री सूरजभान	ग्राम कमरदीनगर, दिल्ली	नौकरी	मंत्री
6.	श्री ज्ञानचन्द	सी-8/303, सुलतानपुरी दिल्ली-4।	नौकरी	कोषाध्यक्ष
7.	श्री सुरेश कुमार	ग्राम बेगमपुर दिल्ली-4।	समाजसेवक	सदस्य
8.	श्रीमति शकुन्तला देवी	कमला नगर, ई-162/163 दिल्ली-7	अध्यापक	सदस्या
9.	श्री ईश्वर कुमार	ग्राम कमरदीनगर, दिल्ली-4।	कृषक	~~[illegible]~~ सदस्य
10.	श्री राम जीवन	सी-8/305, सुलतानपुरी दिल्ली-4।	नौकरी	सदस्य
11.	श्री बस्तीराम	ग्राम पूठकलां, दिल्ली-4।	दुकानदारी	सदस्य
12.	श्री चन्दगी राम	ग्राम पूठकलां, दिल्ली-4।	कृषक	सदस्य
13.	श्रीमती कान्तादेवी	भीमभवन, मंगोलपुर, दिल्ली	अध्यापिका	सदस्या

REGISTRAR OF SOCIETY DELHI

Bh...

MEMBER METROPOLITAN COUNCIL DELHI

10) बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन करना ।

11) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये चल एवं अचल सम्पति भेंट के रूप में स्वीकार करना ।

12) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा लोगों को उद्योग सम्बन्धित पूरी जानकारी देना

(13) उद्योग से सम्बन्धित नई - नई खोज करने मे सरकार को सहयोग देना ।

14) नव-युवकों में अच्छे नागरिक बनने की भावना उत्पन्न करना ।

15) गरीब एवं निः सहाय बच्चों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना ।

16) बेरोजगार लोगों को रोजगार संबन्धित जानकारी देना तथा भिन्न- भिन्न केन्द्रों की स्थापना कर के बेरोजगारी दूर करने में सरकार का सहयोग देना ।

17) ऐसे सभी कार्य करना जो सोसायटी/समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों ।

उपर्युक्त उद्देश्य नं0 1 से 17 तक सभी समाजिक उद्देश्य हैं और समिति की जो भी आय होगी , वह केवल समिति के उद्देश्यों पर ही खर्च की जायेगी ।

क्रमशः - - -

५- संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, के यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम १८६० का २१ (पंजाब संशोधित अधिनियम १९५७) की धारा २ के अधीन तथा अपेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों, जिनको कि कार्य सौंपे गये हैं, के नाम, पते, व्यवसाय व पद निम्नलिखित हैं :--

क्रम सं०	नाम	घर का पता	व्यवसाय	पद
१)	श्री क्षेम चन्द	ग्राम पूठ कलां, दिल्ली-४१	सेवामुक्त	प्रधान
२)	श्री राम सरूप	ग्राम बेगमपुर, दिल्ली-४१	नौकरी	उप-प्रधान
३)	श्री जय देव	ग्राम रिठाला, दिल्ली	अध्यापक	उप-प्रधान
४)	श्री रमेश सिंह सोलंकी	ग्राम पूठ कलां, दिल्ली	समाजसेवक	महामन्त्री
५)	श्री सूरज भान	ग्राम कमरुद्दीन नगर, दिल्ली	नौकरी	मन्त्री
६)	श्री ज्ञान चन्द	सी-८/३०३, सुलतानपुरी, दिल्ली	नौकरी	कोषाध्यक्ष
७)	श्री सुरेश कुमार	ग्राम बेगमपुर, दिल्ली-४१	समाजसेवक	सदस्य
८)	सुश्री शकुन्तला देवी	कमला नगर, दिल्ली-७	अध्यापिका	सदस्या
९)	श्री ईश्वर कुमार	ग्राम कमरुद्दीन नगर, दिल्ली	कृषि	सदस्य
१०)	श्री राम जीवन	सी-८/३०५, सुलतानपुरी, दिल्ली	नौकरी	सदस्य
११)	श्री बस्ती राम	ग्राम पूठ कलां, दिल्ली-४१	दुकानदारी	सदस्य
१२)	श्री चन्दगी राम	ग्राम पूठ कलां, दिल्ली-४१	कृषि	सदस्य
१३)	श्रीमती कान्तादेवी	जैन भवन, मंगोलपुर, दिल्ली-४१	अध्यापिका	सदस्या

REGISTRAR OF SOCIETY DELHI

६- हम, अधोहस्ताक्षरित संस्था के ज्ञापन-पत्र का अनुसरण करते हुये संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली, में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम १८६० का २१ (पंजाब संशोधित अधिनियम १९५७) के अधीन -- श्री मुख्त्यार सिंह स्मृति शिक्षा समिति के नाम से इस समिति की स्थापना के इच्छुक हैं : -

क्रम सं०	नाम	घर का पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
१)	श्री क्षेम चन्द	ग्राम पूठ कलां, दिल्ली-४१	सेवामुक्त	[illegible]
२)	श्री राम सरूप	ग्राम बेगमपुर, दिल्ली-४१	नौकरी	राम सरूप
३)	श्री जय देव	ग्राम रिठाला, दिल्ली	अध्यापक	[illegible]
४)	श्री रमेश सिंह सोलंकी	ग्राम पूठ कलां, दिल्ली-४१	समाजसेवक	[illegible]
५)	श्री सूरज भान	ग्राम कमरुद्दीन नगर, दिल्ली	नौकरी	[illegible]
६)	श्री ज्ञान चन्द	सी-८/३०३, सुलतानपुरी, दिल्ली	नौकरी	[illegible]
७)	श्री सुरेश कुमार	ग्राम बेगमपुर, दिल्ली-४१	समाजसेवक	[illegible]
८)	सुश्री शकुन्तला देवी	कमला नगर, दिल्ली-७	अध्यापिका	[illegible]

(१७) प्रमाणित किया जाता है कि यह समिति के नियम एवम् उप-नियमों की सही प्रति है।

क्रम सं०	नाम	समिति में पद	हस्ताक्षर
१)	श्री हेम चन्द	प्रधान	
२)	श्री रमेश सिंह सोलंकी	महामंत्री	
३)	श्री ज्ञान चन्द	कोषाध्यक्ष	

REGISTRAR OF SOCIETY
DELHI

7/L

९)	श्री ईश्वर कुमार	ग्राम कमरदी नगर, दिल्ली	कृषि	ईश्वर
१०)	श्री राम जीवन	सी-८/२०५, सुलतानपुरी, दिल्ली	नौकरी	Ram Jiwan
११)	श्री बस्ती राम	ग्राम पूठ कलाँ, दिल्ली-४१	दुकानदारी	[illegible]
१२)	श्री बन्दगी राम	ग्राम पूठ कलाँ, दिल्ली-४१	कृषि	[illegible]
१३)	श्रीमती कान्तादेवी	भीम भवन, माँगोलपुर, दिल्ली	अध्यापिका	Kanta

Signature Attested

Bhalla · IT013

31-12-78

(Bharat Singh)

MEMBER METROPOLITAN ... DELHI

REGISTRAR OF SOCIETY DELHI